भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 90

दिनांक 02 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

विषय: पी.सी.ए. अधिनियम के अंतर्गत पशुओं को जब्त करना

90. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पी.सी.ए.) अधिनियम प्राधिकारियों को मामलों की लंबितता के दौरान व्यापारियों से पशुओं को जब्त करने की अनुमति नहीं देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पशुओं को जब्त करने के लिए पी.सी.ए. अधिनियम के विरुद्ध नियम बनाए हैं;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को अधिनियम में संशोधन करने अथवा दर किनार करने के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ताकि पशुओं के प्रति क्रूरता के फर्जी आधर पर पशु व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं किया जा सके?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) जी नहीं। धारा 29 के उपबंध के अनुसार यह, पशु स्वामित्व के दोषी व्यक्ति को वंचित करने के लिए न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है और धारा 29 (2) में यह कहा गया है कि उप-धारा 29 (1) के अधीन कोई आदेश उस सूरत के सिवाय नहीं दिया जायेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती दोष सिद्धि की बाबत या स्वामी के चरित्र की बाबत साक्ष्य से या जीव जन्तु के साथ बर्ताव की बात अन्यथा रूप से यह दर्शित कर दिया जाता है कि यदि जीव जन्तु स्वामी के पास छोड़ दिया गया तो यह संभावना है कि उस पर असर करता हो। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 35, मामला लंबित होने के दौरान

और उसके पश्चात् पशु को जब्त करने से संबंधित है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 34 जांच के लिए अभिग्रहीत करने की सामान्य शक्ति देती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04.01.2021 के अपने आदेश के द्वारा भारतीय संघ को एक हलफनामा दायर करने को कहा है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग ने मौजूदा नियमों का बचाव करते हुए शीर्ष न्यायालय में एक काउंटर हलफनामा दायर किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामले की जांच चल रही है।

(ङ) पशुक्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 29 के तहत इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा गया है कि व्यापारियों को उत्पीड़ित करने हेतु झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए इस उपबंध का गलत उपयोग न किया जा सके, इसलिए स्थानीय मजिस्ट्रेट को अपने विवेकाधिकार पर प्रत्येक मामले में, जब मामले के लंबित होने के दौरान आरोपी, पशु को अपनी अभिरक्षा में लेने के योग्य नहीं हो तो, कभी-कभी पशुओं की अंतरिम कस्टडी स्थानीय पिंजरा पोल अथवा गौशालाओं को देने की शक्ति दी गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुस्तकीम (आपराधिक अपील सं. 283-287/2002); पिंजरा पोल देवदर बनाम चक्रम मोराजी नट (1998) 6 एससीसी 520; एम.पी बनाम इस्लाम (2007) 15 एससीसी 588), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्थानीय मजिस्ट्रेट कुछ तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, जैसे जांच और जब्ती के समय पशु जिस स्थिति में पाया गया था; और पशु के साथ फिर से क्रूरता होने की संभावना, जो आरोपी स्वामी की अंतरिम कस्टडी के आवेदन पर विचार करते समय प्रासंगिक कारक हैं।

.....